

हरियाणा विधान सभा पंद्रहवीं विधान सभा
कार्य सूची

अक्टूबर-नवम्बर सत्र 2024

14 नवम्बर 2024

1. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

- (1) 13 नवम्बर, 2024 को श्री मूल चंद शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा प्रस्तुत किए गए तथा श्री प्रमोद कुमार विज, एम.एल.ए. द्वारा समर्थन किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण, अर्थात्:-

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए:-

‘कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 13 नवम्बर, 2024 को 11.00 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है।’

2. वर्ष 2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना।

- (1) वित्त मंत्री 2024-2025 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

3. 2024-2025 के अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त)।

- (1) 1. राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय के अनुमानों पर चर्चा।
2. अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

मांग संख्या 2	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹15,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 2-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 1-2
मांग संख्या 3	एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹64,66,01,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन / निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 3-9

मांग संख्या 4	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹279,25,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 4-राजस्व और आपदा प्रबन्धन / अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/ आबकारी एवं कराधान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 10-13
मांग संख्या 5	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹537,25,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹130,00,00,000/-से अधिक न हो, मांग संख्या 5- गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/ जेल (कारागार)/ न्याय शासन (उच्च न्यायालय / अभियोजन/ एजीओटी / कानूनी सेवा प्राधिकरण) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 14-21
मांग संख्या 6	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹7,56,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹2,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 6- वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 22-25
मांग संख्या 7	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए ₹120,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 7- राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 26-28
मांग संख्या 10	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1000,02,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹2,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 10-कृषि एवं किसान कल्याण/ बागवानी/ पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/ पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 29-33
मांग संख्या 11	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹389,84,50,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 11-सहकारिता/ खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 34-40
मांग संख्या 12	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹460,21,16,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹3,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 12- शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/ उच्च शिक्षा (उच्च / तकनीकी / विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 41-51
मांग संख्या 13	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹30,35,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹241,14,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 13- खेल / विरासत तथा पर्यटन (पुरातत्व / संग्रहालय / पर्यटन) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान2024-25(प्रथम किस्त)पृष्ठ संख्या 52-55

मांग संख्या 14	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 482,80,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹ 604,70,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 14- स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान / आयुष / खाद्य एवं औषधि प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 56-69
मांग संख्या 15	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 30,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 15 - श्रम / युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/रोजगार/युवा मामले) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 70-71
मांग संख्या 16		प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 1121,64,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 16- सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय / भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 72-84
मांग संख्या 17		प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 660, 65,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹ 22,60,20,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 17-लोक निर्माण (भवन व सड़कें) / परिवहन / नागर विमानन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 85-96
मांग संख्या 19		प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 1359,46,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹ 50,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 19-ऊर्जा विभाग (विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/ एमएसएमई/ सिंचाई एवं जल संसाधन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 97-104
मांग संख्या 20		प्रस्ताव करेंगे कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹ 314,02,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹ 889,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 20- नगर तथा ग्राम आयोजना / शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/ शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/ विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) पृष्ठ संख्या 105-117

4. सरकारी प्रस्ताव

(1) **एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि-** “कल प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व है। यह सदन इस अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता है। साथ ही, इस प्रस्ताव के माध्यम से जन-जन को उनके प्रकाश पर्व की लख-लख बधाई देता है।

1. इससे पहले, वर्ष 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर उनकी 'एक पिता एकस के हम बारक' की शिक्षा पर चलते हुए हरियाणा और पंजाब विधानसभा का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया था।
2. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर कमलों से 9 नवम्बर, 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर का शुभारंभ भी किया गया था। इस पहल को यह गरिमामयी सदन श्रद्धापूर्वक याद करता है।
3. यह सदन मानता है कि यह कॉरिडोर श्री गुरु नानक देव जी की हमारे प्रति अपार कृपा के कारण ही बन पाया है। उन्होंने 22 देशों में जाकर संदेश दिया था कि धरती और समाज पर आदमी द्वारा खींची गई लकीरों से धर्म बहुत ऊपर है।
4. हरियाणा सौभाग्यशाली है कि यहां 16वीं शताब्दी के आरंभ में श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी चरण धूलि से इस धरा को पावन किया। उन्होंने अपनी विभिन्न उदासियों के दौरान हरियाणा पधार कर यहां के जन-समुदाय को धर्म की सच्ची राह दिखाई। ईस्वी सन् 1508 में अपनी पहली उदासी में वे सुल्तानपुर होते हुए सिरसा पहुंचे और फिर कराह, पिहोवा, कुरुक्षेत्र और कपालमोचन पहुंचे।
5. अपनी दूसरी उदासी के दौरान श्री गुरु नानक देव जी करनाल और पानीपत और तीसरी उदासी में पिंजौर, अम्बाला और शाहबाद पधारे थे। इन सब स्थानों पर पहली पातशाही के गुरुघर स्थापित हैं, जो सदियों से श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रकाश फैला रहे हैं। ये स्थान अब पावन तीर्थ बन गए हैं और वर्ष भर संगतें वहां जाकर अपने जीवन को संवार रही हैं।
6. आध्यात्मिक बोध, सांसारिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के लिए श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने सदियों पहले मानवता को 'किरत करो, नाम जपो और वंड छको' का पाठ पढ़ाया।
7. मैं आज इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि गुरुग्राम में लगभग 1000 करोड़ रुपये की लागत से 700 बेड के सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। हमने निर्णय लिया है कि इस अस्पताल का नामकरण श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया जाएगा।
8. मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब, सिरसा की बड़ी ऐतिहासिक महत्ता है। यहां पर ही गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण पड़े थे और उन्होंने यहां रहकर चालीस दिनों तक तपस्या की थी। सरकार ने गत जुलाई माह में गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब, सिरसा को 77 कनाल 7 मरला भूमि उपहार स्वरूप निःशुल्क हस्तांतरित की है।
9. हमें सिख समाज की ओर से यह मांग आ रही है कि हरियाणा के किसी भी विश्वविद्यालय में गुरु नानक देव जी के नाम से एक चेयर की स्थापना की जाये। हमने उच्च शिक्षा विभाग की 18 जनवरी, 2024 की नीति अनुसार ऐसे प्रस्ताव को स्वीकृति देने का निर्णय किया है।
10. यह माननीय सदन विश्वास रखता है कि श्री गुरु साहिबान के आशीर्वाद से हरियाणा अपने वैभव को

बढ़ाता रहेगा और प्रगति मार्ग पर निरंतर अग्रसर होता रहेगा। उन्होंने सद्भाव, सहनशीलता, भाईचारे और आपसी प्रेम का जो रास्ता दिखलाया है, हम उसे अपने जीवन में उतारें, यही मानव कल्याण का मूल मंत्र है और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।

11. इस गरिमामयी सदन के सम्मुख हरियाणा के लोगों की श्रद्धा से ओतप्रोत इस प्रकाश पर्व के बधाई प्रस्ताव को पारित करने का अनुरोध करता हूँ।

वाहे गुरु जी का खालसा

वाहे गुरु जी की फतेह।"

5. विधायी कार्य।

(1) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

(i)

हरियाणा पंचायती राज
(संशोधन) विधेयक, 2024

एक प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाय; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii)

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन)
संशोधन विधेयक, 2024

एक
मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया

जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(iii)

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) एक
विधेयक, 2024 मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए;

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(iv)

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, एक

जाए;

प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया

यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

6. परिशिष्ट

(1) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

(i)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024

एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(ii)

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, एक 2024

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

7. द्वितीय परिशिष्ट

(1) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

(i)

हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024 एक मंत्री हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(ii)

हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024

एक हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(iii)

हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024

एक हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

डा. सतीश कुमार

Chandigarh-160001

दिनांक: 17 नवम्बर 2024 01:36 PM